

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

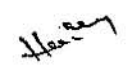
New Delhi, dated the 9th Feb 98.

NOTIFICATION

(INCOME TAX)

S.O.No..... In exercise of the powers conferred by sub-clause(iv) of clause(23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies " The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi " for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions namely:-

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section(5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.


(H.K. CHOUDHARY)

Under Secretary to the Government of India.

Notification No. 10530
To

(F.No.197/167/97-IT)

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग 11, खण्ड 3, 1111 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजपत्र विभाग
अधिसूचना
आयकर

नई दिल्ली, दिनांक 9.2.98

का.आ. सं. आयकर अधिनियम, 1961 1961 का 43 के धारा 10 के खण्ड 123-ग के उपखण्ड IV । द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार फाइल " दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

11। कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उपवेष्टों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है, .

12। कर-निर्धारिती उक्त उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी आय के दौरान धारा 11 की उपधारा 15 में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा ^{तरीकों से} भिन्न तरीकों से इसकी निम्ने जेवर-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रस-रसम में स्वीकृत अंशदान से भिन्न का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा, .

13। यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा आयलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकार्व नहीं रही जाती हो ।

15व0के0 चौथरी।

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं-10530

का0सं0 197/167/97-आयकर-1।

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार प्रेस, रिंग रोड,

माया पुरी औद्योगिक क्षेत्र,

राजौरी गार्डन के समीप, नई दिल्ली.